

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

दिनांक-17/01/23

**विषय:-** झारखण्ड उदवह सिंचाई अधिनियम 1956 की धारा-23, 24, 28 एवं 29 तथा झारखण्ड सिंचाई अधिनियम 1997 की धारा- 62, 63 तथा 116(2) के अधीन झारखण्ड राज्यान्तर्गत म्यूनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति का जल-दर को पुनरीक्षित करने के संबंध में।

जल संसाधन विभाग गैर-कृषिकारी उपयोग हेतु विभिन्न उपभोक्ताओं को जल उपलब्ध कराता रहा है। म्यूनिसिपल व्यावसायिक एवं औद्योगिक जलापूर्ति हेतु जल संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर विभागीय आदेश द्वारा जल-दर (Water Tariff) निर्धारित की जाती रही है। म्यूनिसिपल एवं औद्योगिक जल-दर (Water Tariff) 01 अप्रैल 2011 से प्रति हजार गैलन के आधार पर निर्धारित किया गया था।

- 01 अप्रैल 2011 से जल-दर लागू होने के पश्चात् दस वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त इसमें कतिपय संशोधनों की आवश्यकता महसूस की गई है।
- देश के अन्य राज्यों (यथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, प० बंगाल, बिहार) में लागू जल-दरों पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात विभिन्न जलस्रोतों (यथा प्राकृतिक नदी/नाला आदि, जलाशय तथा नहर) से झारखण्ड राज्य में औद्योगिक इकाईयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग एवं औद्योगिक इकाईयों/निजी एवं सरकारी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग हेतु 01 अप्रैल 2023 से प्रति हजार लीटर की इकाई के आधार पर जल-दर निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है :-

(जल-दर रू० प्रति 1000 लीटर)

| क्र.सं. | जल उपयोग का प्रयोजन                                                                                                                                                                        | जल स्रोत का प्रकार                    |                                      |             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|         |                                                                                                                                                                                            | प्राकृतिक जलस्रोत (नदी, नाला, जलधारा) | जलाशय एवं जलाशय का Down stream (D/S) | निर्मित नहर |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                          | 3                                     | 4                                    | 5           |
| I       | औद्योगिक इकाईयों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिये औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग हेतु                                                                                                            | 4.50                                  | 13.00                                | 32.00       |
| II      | पेयजल एवं म्यूनिसिपल उपयोग हेतु                                                                                                                                                            |                                       |                                      |             |
| (a)     | औद्योगिक इकाईयों/निजी संस्थानों/निजी शैक्षणिक संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु                                                                                      | 4.30                                  | 4.30                                 | 16.00       |
| (b)     | शहरी क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, नगर निगम, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, माडा-धनबाद, माडा- हजारीबाग एवं अन्य सरकारी संस्थान द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु | 3.80                                  | 3.80                                 | 6.50        |
| (c)     | ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, पंचायती राज संस्थानों एवं अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा म्यूनिसिपल उपयोग एवं पेयजलापूर्ति हेतु                                              | 0                                     | 0                                    | 4.30        |

- उपरोक्त कंडिका-2 में निर्धारित की गई जल-दरें अधिसूचना 01/04/2023 से प्रभावी होगी।

4. मुद्रा स्फीति की दरों में औसत वृद्धि के आलोक में उपरोक्त कंडिका-2 में अंकित जल-दरों में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से अर्थात् 01 अप्रैल 2024 से 7.5% वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) कर पुनरीक्षित जल-दर लागू होगी। इसके बाद के आगामी वर्षों में भी जल-दरों में प्रतिवर्ष 7.5% की वृद्धि (वार्षिक चक्रवृद्धि दर से) लागू होगी।
5. एकरारनामा आधारित जलावंटन की मात्रा के अनुरूप विभाग द्वारा निर्गत विपत्र के आधार पर प्रत्येक माह निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विपत्र का भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में विलम्बित भुगतान अधिभार अर्थात् DPS (Delayed Payment Surcharge) 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह (मासिक चक्रवृद्धि दर से) की दर से राशि वसूली जाएगी।
6. उपभोक्ता संस्थान द्वारा उनको आवंटित वार्षिक जल की मात्रा के विपत्र की सम्पूर्ण राशि का भुगतान एकमुश्त वर्ष के प्रथम तिमाही में ही करने पर कुल वार्षिक विपत्र की राशि में पाँच प्रतिशत (5%) की छूट दी जायगी।
7. इस आदेश में निहित मुख्य तकनीकी शब्दों की परिभाषा निम्नवत है:-  
जल-दर (Water Tariff) -विभिन्न औद्योगिक इकाइयों/व्यापारिक संस्थानों/निजी या सरकारी संस्थानों/या अन्य किसी एजेंसी द्वारा लिये जा रहे जलापूर्ति के एवज में सरकार को प्रति हजार लीटर जलापूर्ति के लिए भुगतये राशि (रूपया में)।  
औद्योगिक इकाई-झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी श्रेणी/प्रकार (Small/ Medium/ Large/ Private/ Public Sector/ Joint Sector या अन्य सभी इकाई जो Industry के रूप में परिभाषित है) की औद्योगिक इकाई।  
व्यावसायिक इकाई/प्रतिष्ठान-झारखंड राज्य में स्थापित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक इकाई/प्रतिष्ठान जिसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के माध्यम से लाभ अर्जित करना है एवं जो व्यापार के रूप में परिभाषित है।  
D/S of reservoir- Where assured water is supplied through a dam in down stream (D/S) of river .
8. अन्य सभी तकनीकी शब्दावलियाँ मानक पुस्तकों में यथा परिभाषित।
9. इस आदेश पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

जल संसाधन विभाग

दिनांक-17/01/23

ज्ञापांक-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

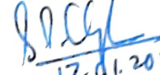
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हक) बिहार एवं झारखण्ड, वीर चंद पटेल पथ, पटना/हिन्नु राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

दिनांक-17.01.23

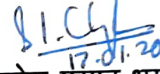
प्रतिलिपि:- मुख्य (जल संसाधन), मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/ सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची/अभियंता प्रमुख-I एवं II, नेपाल हाउस, राँची, सभी संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, नेपाल हाउस, राँची/मुख्य अभियंता, राँची/चाण्डिल कॉम्प्लेक्स, जमशेदपुर/ईचा-गालूडीह कम्प्लेक्स, जमशेदपुर/देवघर/मेदिनीनगर/हजारीबाग/रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, जलभवन डोरण्डा, राँची/अग्रिम योजना जल भवन, डोरण्डा राँची/मुख्य अभियंता (मो०), नेपाल हाउस, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/दुमका/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3 नेपाल हाउस, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.01.2023  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

दिनांक-17.01.23

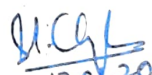
प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला लेखा पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
17.01.2023  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

दिनांक-17.01.23

प्रतिलिपि:- ई-गजट नोडल पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे इस अधिसूचना का प्रकाशन झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में करें और गजट की प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध करायें।

  
17.01.2023  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग

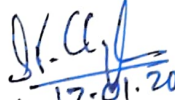
ज्ञापांक-2/PMC/जलापूर्ति-175/2007 30

दिनांक-17.01.23

प्रतिलिपि:- वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
17.01.2023  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग

प्रतिलिपि:- Copy forwarded to M/S Tata Steel Ltd/ M/S Tata steel long products ltd/ M/S Steel Authority of India Limited/ M/S Grasim Industries Ltd/ M/S Adani Power Ltd/ M/S Adhunik Alloys & Power Ltd./ M/S Adhunik Power & Natural Resources Pvt. Ltd./ B.I.T., Mesra./ M/s Usha Marttin Limited/ A.C.C. Limited, Chaibasa,/M/s Electrosteel Castings Limited/ M/s Horizon Loha Udyog Ltd. and other concerned companies for information and necessary action.

  
17.01.2023  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
संयुक्त सचिव (अभि०)  
जल संसाधन विभाग